न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 09 / 2022

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री कैलाश सोलंकी, तत्कालीन पटवारी जालोर–सी हाल पटवारी ऐलाना, तहसील जालोर, जिला जालोर		जिला कलेक्टर (भू.अ.) जालोर

अपील अन्तर्गत नियम, 23 राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर (भू.अ.) जालोर क्रमांकः भू.अ./वि.जां./62/2021/605 दिनांक 28.02.2022 द्वारा प्रार्थी की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित करने बाबत।

निर्णय

दिनांक 18 .08.2022

1. यह अपील श्री कैलाश सोलंकी, तत्का0 पटवारी जालोर–सी, प्रभारी पटवारी लेटा(जालोर बी) तहसील तहसील जालोर जिला जालोर ने जिला कलेक्टर(भू.अ.) जालोर के आदेश क्रमांकःभू.अ./वि.जां./62/2021/605 दिनांक 28.02.2022 के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट तहसील जालोर के हल्का जालोर–सी के पास दिनांक 07.08.2018 से 31.07.2019 तक पटवार मण्डल लेटा का अतिरिक्त कार्यभार रहते ग्राम जालोर–बी के खसरा नम्बर 6111, 6112, 6113, 6114, 6115 व 6116 में खातेदार चमना पुत्र वीरमा 1/12 जाति माली सा0 देह के विरासत का नामान्तकरण 2903 स्वीकृत दिनांक 21.12.2018 दायर कर अपने दादा सहित सह–खातेदार जसाराम, अचलाराम, वरदाराम, सोनाराम, मगाराम पि. चमनाजी 1/12 के नाम अंकन किया गया। उक्त नामान्तरकरण पर आप द्वारा टिप्पणी में मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार चमना पत्र दौला फौत होना बताया जाकर, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर चमना वल्द वीरमा नाम के खातेदार की आराजी में नामान्तरकरण दायर किया गया। इस प्रकार जमाबन्दी एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक खातेदार की वल्दियत में अन्तर होने के बावजूद बिना सक्षम अधिकारी से शुद्धि करवाये नामान्तकरण दायर किये जाने से, विद्वान जिला कलेक्टर(भू.अ.)

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

जालोर ने अपीलाण्ट के विरूद्ध प्राथमिक जांच में अनियमितता पायी जाने पर सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच कार्यवाही संपादित करने के उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2022 के द्वारा अपीलाण्ट की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

3. जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत अपने पत्रांकः भू.अ./वि.जां./2019/2004 दिनांक 22.4.21 के द्वारा ज्ञापन मय आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किया गया। आरोपित आरोपों का विवरण निम्नानुसार है :–

आरोप संख्या 1–

यह कि आप श्री कैलाश सोलंकी पटवारी जालोर सी हाल प्रतिनियुक्त पटवारी जिला कार्यालय भू अभिलेख शाखा जालोर के पास दिनांक 07.08.2018 से 31.07.2019 तक पटवार मण्डल लेटा का अतिरिक्त कार्यभार रहा है। इस दौरान आप द्वारा अपने कार्यकाल में ग्राम जालोर बी के ख0नं0 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116 में खातेदार चमना पुत्र वीरमा 1/12 जाति माँली सा0 देह के विरासत का नामान्तरकरण 2903 स्वीकृत दिनांक 21.12.2018 को दायर कर अपने दादा सहित सहखातेदार जसाराम, अचलाराम, वरदाराम, सोनाराम, मगाराम पि0 चमनाजी 1/12 के नाम अंकन किया गया। उक्त नामान्तरकरण पर आप द्वारा टिप्पणी में मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार चमना पत्र दौला फौत होना बताया है, परंतु अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर चमना वल्द वीरमा नाम के खातेदार की आराजी में नामान्तरकरण दायर किया गया है। इस प्रकार जमाबंदी एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक खातेदार की वल्दियत में अन्तर होने के बावजूद आप द्वारा बिना सक्षम अधिकारी से शुद्धि करवाये नामान्तरकरण दायर किया गया है। जो नियम विरूद्ध है। अतः आप अनुशासनिक कार्यवाही के भागी है।

आरोप संख्या 2–

यह कि ग्राम जालोर बी की जमाबंदी 2071–2074 तैयार करते वक्त अपने परिवार के सदस्य जसाराम, अचलाराम, वरदाराम, सोनाराम, मगाराम पि0 चमनाजी के नाम दर्ज 1/12 हिस्से की खातेदारी भूमि में प्रत्येक उत्तराधिकारी का 1/20 हिस्सा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के आप द्वारा खातेदार दर्ज किया गया एवं बाद में शिकायत होने पर संशोधन कर प्रत्येक उत्तराधिकारी का हिस्सा पुनः 1/60 दर्ज किया गया। जो नियम विरूद्ध है।

उक्त आरोप गम्भीर है जो रिकार्ड में अनियमितता (Tamper with Record) की श्रेणी मे आते है। अतः आप अनुशासनिक कार्यवाही के भागी है।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

4. अपीलाण्ट द्वारा उक्त ज्ञापन व आरोप पत्र के संबंध में अपने जवाब में आरोपों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर जालोर ने प्रकरण में विभागीय जांच कराने हेतु अपने आदेश क्रमांकः 2290 एवं 2295 दिनांक 8.6.21 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी जालोर को जांच अधिकारी व तहसीलदार जालोर को सरकारी पैरोकार (विभागीय उपस्थापक) नियुक्त किया गया। विभागीय जांच अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जालोर) ने अपनी जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच रिपोर्ट क्रमांकः 2019 दिनांक 11.01.2022 के द्वारा जिला कलेक्टर को प्रेषित की गई। तत्पश्चात जिला कलेक्टर ने प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व दिनांक 27.01.22 को अपीलांट को व्यक्तिगत रूप से सुनने के उपरांत रेकर्ड पर प्रस्तुत समस्त तथ्यों की जांच परख करने के बाद प्रकरण में अपीलांट–आरोपी श्री कैलाश सोलंकी, द्वारा किए गये कथन एवं प्रस्तुत तथ्यों की जांच करने के बाद प्रकरण में आरोपी द्वारा प्रथम दृष्टया लापरवाही, उपेक्षा बरतना पाये जाने पर ''पूर्व में कारित किसी त्रुटि/लापरवाही की पश्चातवर्ती शुद्धि से दोष का शमन किया जाना नही मानते हुए'' अपीलाधीन आदेश पारित किया गया।

5. दौरान सुनवाई अपीलाण्ट ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया कि प्रकरण में श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर द्वारा जारी ज्ञापन/नोटिस के क्रम में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 1.6.21 को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर, आरोपित आरोपों को अस्वीकार करते हुए संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त करने का आग्रह किया गया था। इसके बावजूद जिला कलेक्टर जालोर ने प्रकरण में विस्तृत विभागीय जांच संपादित करवायी गई। जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अपीलांट को परोक्ष रूप से दोषी नही माना है। तत्पश्चात श्रीमान जिला कलेक्टर ने अपीलांट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर तो दिया गया, परंतु आरोपित आरोपों में दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकि आरोपित आरोपों में उल्लेखित कृत्य बदनियतीपूर्ण नही था। तहसील जालोर में सेग्रीगेशन कार्य योजनान्तर्गत हर पटवारी द्वारा जल्दबाजी में कई स्तर की गललियां की गई है, किंतु जिला कलेक्टर द्वारा केवल अपीलांट के विरूद्ध ही आरोप संस्थित किए गये, जो कि अन्यायपूर्ण है। इसके अलावा आरोपित आरोप में दर्शाये गये राजकीय कार्य में किसी भी व्यक्ति विशेष को लाभ नही पहुंचाया गया है और न ही किसी व्यक्ति विशेष को उनके खातेदारी हिस्से से हानि हुई है। जिस शिकायतकर्ता द्वारा इस प्रकार की शिकायत की गई थी, उसी शिकायतकर्ता के द्वारा लिखित में हिस्सा सही दर्ज

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

हो जाने से तथा पारित नामान्तरकरण पर कोई आपत्ति नही होने से शिकायत फाईल करने का निवेदन भी कर दिया गया था। इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को आरोपित आरोपों में अंकित कार्य से किसी भी प्रकार से कोई लाभ नही दिया गया है। अपीलांट द्वारा इन आरोपो के संबंध मं संपूर्ण घटनाक्रम व कार्यवाही का अंकन कर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर दिया गया था, किंतु जिला कलेक्टर महोदय ने उक्त प्रत्युत्तर को कन्सीडर किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

6. प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय पैराकार अनुपस्थित रहने के कारण हमने उक्त अपील प्रकरण में जिला कलेक्टर जालोर के पत्रांकः 1154 दिनांक 6.4.22 द्वारा प्रेषित टिप्पणी व उसके संलग्न मूल पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया कि विद्वान जिला कलेक्टर जालोर द्वारा आरोपी–अपीलांट के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जांच कार्यवाही सम्पादित कराने के उपरांत अपीलांट को व्यक्तिगत सुनवाई एवं अपना स्पष्टीरण प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देने के पश्चात उल्लेखित प्रकरण में प्रथम दृष्टया लापरवाही, उपेक्षा बरतने का दोषी मानते हुए, पूर्व में कारित किसी त्रुटि/लापरवाही की पश्चातवर्ती शुद्धि से दोष का शमन किया जाना नही मानते हुए'' अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः विद्वान जिला कलेक्टर जालोर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि अनुकूल होने से, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित प्रतीत नही है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारीज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2020 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18 अगस्त, 2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

18/8

(कैलाश चन्द मीना)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर

डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर

राजस्थान–सरकार
न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

क्रमांकः कोर्ट/डी.सी./2022/502 दिनांकः 01.09.2022

शुद्धि पत्र

इस न्यायालय में विचाराधीन विभागीय अपील संख्या 09/2022 अनवान श्री कैलाश सोलंकी तत्कालीन पटवारी जालोर–सी, हाल पटवारी ऐलाना, तहसील जालोर, जिला जालोर बनाम जिला कलेक्टर (भू.अ.) जालोर में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2022 के पृष्ठ संख्या 4 पर पैरा संख्या 7 में अंकित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2020 के स्थान पर अपीलाधीन आदेश दिनांक **28.02.2022** पढ़ा जावे। उक्त संशोधन को मूल निर्णय का भाग समझा जावे।

01/09/2022

(कैलाश चन्द मीना)
विभागीय आयुक्त
जोधपुर